

FORM NO. III

न्यायालय उपखंड अतिथी फर्द अहकाम

पदेन सहायक क्लर्क (नियम 26)
फरीदा (पीलवासा)

अज अदालत मुकाम
बनाम
किस्म मुकदमा नं. सन

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29.05.18 प.जावली मुकाम लाडुवास पर लोक अदालत शीघ्र के दौरान उपस्थित हुई उभयपक्ष कारण उपस्थित आर्ग साध ही परोकार सरकार भी उपर-पत आर्ग वादी न वाद पक्ष में अंकित मयन को दोहराने एव निवेदन किया कि गौजा मालास प.म. लाडुवास के अग्रणीने 1505 रुका 0.15 बीघा अमि वारी के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादी वर्षों से उक्त खाले धारी अमि के उपयोग एवं उपयोग करना आ रहा है। वादग्रस्त उपरोक्त 0.15 बीघा अमि की प्रक में इसी न्यायालय में उत्तरा संख्या 358/2016 दिनांक 02.06.2016 अन्तर्गत L.R. पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्राप्त कर पलनाप लहरनील दार करेटा को सिजाये गये थे। मुताबिक आज लहरनील दार करेटा के अनुसार से केवल ग-अभिलेख निरीक्षक केमाली के पदवार हलका लाडुवास पत्थरगढ़ी करने हेतु न्यायालय के आदेश के दिनांक 12.05.2017 के आदेश पर

Sub
उपखंड अतिथी
सहायक क्लर्क


न्यायालय उपखंड अधिकारी
 हुक्म की प्रतिवादी गय इनिशियल्स जज
 पदेन सहायक क्लर्क
 करेड़ा (भीलवाड़)

449/12 वाद

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

गुप्त मालास के पधार जिसकी जांचित
 प्रति पकरा के प्रस्तुत की गई है।
 उक्त प्रजाचित प्रति के अध्ययन के
 रूपपर है कि वारी के संशुद्ध खाते
 श्री आराजी नै. 1505 रकम 0.15 की दर
 पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का
 0.04 - 0.04 अमि पर कब्जा किया
 हुआ है जिसकी लाई पयगो का
 दिनांक 12.05.2017 से होली है।
 शोक पर ही वारीपक्ष को विरहावर का.
 केमाली द्वारा दियागत है ही गई थी कि
 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जो 0.04
 - 0.04 की दर अमि पर जो अनाधिकृत
 कब्जा किया हुआ है उक्त विधिगत
 पुनः प्राप्त करने हेतु न्यायालय के
 वाद प्रस्तुत करने हेतु पावेद किया
 गया जिसकी अनुपालना के वारी को
 यह वाद प्रस्तुत करना पडा।
 न्यायालय द्वारा समझाईश करने
 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के
 वारी शोक पर 0.02 की दर अमि पर
 रास्ता देन हेतु सहमत हो गया है।
 वारी द्वारा एक कुंठा अज्ञानता वश
 प्रतिवादी 2 के संशुद्ध खाते में शोक
 रिजर्वेशन से दोनो पक्षों के मध्य न्यायालय
 के समक्ष यह समझौता हुआ है कि -
 1. वारी श्री खातेदारी आराजी नै. 1505
 रकम 0.15 की दर से 0.02 की दर
 अमि वारी प्रतिवादी संख्या 2 पर।

दः मंगना
 कालिका
 जजगाल


 उपखंड अधिकारी पदेन
 सहायक क्लर्क करेड़ा

तारीख
हुकम

न्यायालय उच्च न्यायालय न्यायाधीश (1/12/17)
पदेन राक्षायक कस्युपरया कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
करेडा (भीलवाड)

449/17 वाद

1. नाम राल स्व रेकार्ड में शस्ते में रजु
में दर्ज कराया उक्त रास्ता रेकार्ड
में दर्ज होने के पश्चात प्रतिवादी सेवका
1 व 2 इसका उपयोग रास्ते के रूप में
कर रहे हैं।

2. प्रतिवादी सेवका 1 व 2 की अज्ञात
ने. 1498 (जो सेवका रास्ते में दर्ज है)
में जो कुंआ 0.01 बीघा में निर्मित है
को वादी के पक्ष में स्वेच्छा प्रकृत
दोड़ने पर न्यायालय के समक्ष सदमति
बनने से वादी के पक्ष में उपरोक्त
0.01 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड कराये।

इस प्रकार आपसी राजीनामा
(सदमति) होने से प्रतिवादी सेवका
1 व 2 द्वारा कुल 8 बिस्वा पर
जो ^{उत्तरी} रास्ते की दिशा में अनाधिकृत मक्का
है उसमें से 0.02 बिस्वा भूमि
रास्ते में जाने के कारण शेष 0.06
बिस्वा भूमि पुनः वादी के सम्बन्ध में
जाने की आज्ञा उदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार आपसी राजीनामा
/सदमति से निर्मित प्रकरण की पालनाय
वदलीलापर करेडा को किये जाने हेतु बिस्वा
जबिं तदनुसार ड्रिजारी के) पचावली दर्ज
रजिस्टर में कम की जाकर जोसल नुम्बर
है। निम्न आज दिनांक 29.5.18 को सर
इलाज सुनाया गया।

सदमति पदेन
करेडा

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- राजनी माचीवाम RAS
मगना S/O श्री प्रतापबहाई बनवाना (नाम पीठासीन अधिकारी)

दावा बाबत - कारा 183210 का 10 का प्यो

मुकदमा नम्बर :- 449/17 रा. वा. 15

निर्णय दिनांक :- 29/5/18 को व प्रतिवादी की ओर से पर कर सका

वादी की ओर से S/O राजनी माचीवाम की व प्रतिवादी की ओर से राजनी माचीवाम (नाम पीठासीन अधिकारी)

की उपस्थिति में इस याद में आज तारीख 29/5/18 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

उपरोक्त में प्रपक्षी समकाला होने से राजनी माचीवाम को 5000 रुपया 0-5 बीघा में से 5002 बीघा क्षेत्री कदी प्रतिवादी से 0 व 1 के नाम जम्मा करके कराने के लिये करायगा। जो रासा का उपरोक्त रासा के रूप में कर सका जाय।
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुदा लगाकर दी गई।

शेखरिणी विहार गुला
पर संकेत

उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
करडा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प)	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प)
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

अनवार
मगन। पुम श्री उताप बमार्डि निमामास
वारी

- वना
- 1) बालराम १० मांगू बमार्डि निमामास
 - 2) जमकाभा १० श्री माहन बमार्डि निमामास
 - 3) रत्ने पुत्री श्री रंगपी बमार्डि निमामास
 - 4) राजस्थान राज्य जरीफ तहसील मगन
वरी।
- उत्तरीकरण।

2) उत्तरीकरण सं. 1 व 2 की आणनं. 1998 (जो संयुक्त
क्षेत्र में दर्ज है) में जो कुल 0.01 बीघा में निमाम
त फावारी के फल खेड़ा फूक के इन पान्दा/साम
के समक्ष सहमति बनने से वारी के फल में उपरोक्त
0.01 बीघा अमी दर्ज रेकार्ड करायेगा।
इस प्रकार आपसी रजिनामा (सहमति) होने
से उत्तरीकरण सं. 1 व 2 द्वारा कुल 0.08 बीघा
पर जो उत्तरीकरण दर्शनी दिशा में अनेक
वर्षों से इसमें से 0.02 बीघा अमी रास्ते में
जान के कारण शेष 0.06 बीघा अमी पुनः वारी
के सम्मिलित जान की आज्ञा उदान की जाती

॥॥॥
उपखंड अधिकारी पबेन
सहायक कलक्टर करेड़ा